—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 75/2021

उनवान

1. शैतान पुत्र रामकरण
2. सायरी पत्नी रामकरण समस्त जाति जाट निवासी ग्राम गादेरी, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सुखा पुत्र गुलाब जाति महाजन निवासी ग्राम गादेरी हाल निवासी ग्राम बीर, अजमेर।
2. गेन्दी पत्नी बद्रीलाल,
3. अन्जू,
4. दिनेश,
5. रामेन्द्र,
6. सूरमा पि0 बद्रीलाल,
7. इन्दिरा पत्नी राधाकिशन,
8. जानकी,
9. रेखा,
10. रजनू,
11. रामस्वरूप पि0 राधाकिशन,
12. गोरधन पुत्र सुगना
13. तेजू पुत्र सुगना,
14. सुवा,
15. गोपी पि0 छोगा,
16. मोतीलाल,
17. रामकिशन,
18. शिवदान पि0 नाथू,
19. हरिकिशन पुत्र चन्द्रा,
20. शिवदान पि0 नाथू,
21. सुगना पुत्र छोगा,
22. रामलाल दत्तक पुत्र पूसा,
23. हरिराम पुत्र रामधन, जाति जाट नि0 गादेरी, नसीराबाद,
24. मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. शाखा नसीराबाद
25. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा शाखा बीर, अजमेर,
26. मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक देराठू,
27. राज0 सरकार जरियें …

——— प्रतिवादीगण … 6 अनुपस्थित, 27 जरियें राज. पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:17 IST
Reason: SelfAttested

28. सीता पुत्री लालाराम,
29. राहुल पुत्र लालाराम ना.बा. जरियें प्राकृ… संरक्षक माता सीता प… लालाराम

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

30. कमल पुत्र लालाराम,
31. मीरा पत्नी हेमराज,
32. पिन्टू,
33. गौरव,
34. कालू पि0 हेमराज ना.बा. जरियें संरक्षक माता मीरा पत्नी हेमराज,
35. विकास पुत्र हेमराज,
36. गीता पत्नी गोपाल,
37. राजेश पुत्र गोपाल,
38. प्रेम पुत्र गोपाल ना.बा. जरियें संरक्षक माता गीता पत्नी गोपाल,
39. कविता पुत्री गोपाल ना.बा. जरियें संरक्षक माता गीता पत्नी गोपाल,
40. लाली पत्नी छोटू,
41. काली,
42. मुकेश,
43. राजेश,
44. रामदेवी पि0 छोटू,
45. गंगाराम पुत्र लादू,
46. संजू देवी पुत्री शैतान,
47. सोनी पत्नी हरदयाल जाति जाट नि0 गादेरी, नसीराबाद

———— प्रफार्मा प्रतिवादीगण :— 28 से 47 अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :—

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गादेरी तहसील नसीराबाद में स्थित आराजी मुतनाजा वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पूर्वज लादू पुत्र नानू की खातेदारी काश्तकारी की है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख.न.	श्रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
499	1—16—0	744	1—16—0	616	0.25
				617	0.04
503	0—11—0	745	0—11—0	615	0.09
504	1—3—10	747	1—3—10	597	0.19
629	6—5—0	906	6—5—0	598	0.22
634	6—15—0	911	6—15—0	1948	1.09
635	0—3—10	909	0—3—10	1953	0.03
636	2—7—0	910	2—7—0	1951	0.35
				1958	0.20
				1952	0.09
637	3—17—0	913	3—17—0	1950	0.62
638	1—12—0	[illegible]	[illegible]	1951	0.09
				1952	0.09
				1958	0.20
639	3—17—0	[illegible]	3—17—0	1959	0.62

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:17 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 में लादू पुत्र नानू जाट के नाम खातेदारी दर्ज थी। लादू पुत्र नानू की मृत्यु हो गयी है, जिनके 4 पुत्र क्रमशः रामकरण, हरदयाल, छोटू व गंगाराम हुये, जिनमें से गंगाराम जीवित हैं व शेष की मृत्यु हो गयी है। वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण लादू पुत्र नानू के विधिक वारिस हैं। आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी में कंवरलाल व सुखानन्द महाजन के नाम रहन दर्ज थी। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी नियमानुसार रहनमुक्त कर खातेदार लादू पुत्र नानू के सवारिसान के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या से 23 के नाम अंकित कर दी। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है तथा वादीगण के कबजे काश्त में दखलदांजी कर रहे है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 26 व 28 से 47 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 के खाता संख्या 157 किता 11 रकबा 29–14–0 लादू पुत्र नानू 1 हिस्सा राहिन रायबहादुर सेठ भागचन्द पुत्र टीकमचन्द व कंवरलाल, सुखानन्द व इन्द्रचन्द्र पि. गुलाबचन्द 1 हि. बिला राहिन के नाम खातेदारी दर्ज थी। उक्त चौसाला जमाबंदी वादीगण द्वार ही प्रस्तुत की गयी है। चौसाला जमाबंदी के खाता संख्या 157 के इन्द्राज से स्पष्ट है कि वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पूर्वज लादू पुत्र नानू का 1 हिस्सा रायबहादुर सेठ भागचन्द पुत्र टीकमचन्द के नाम रहन दर्ज था। आराजी मुतनाजा का शेष 1 हिस्सा कंवरलाल, सुखानन्द व कपूरचन्द पि. गुलाबचन्द .बिला राहिन दर्ज था। उक्तानुसार स्पष्ट है कि कंवरलाल, सुखानन्द व इन्द्रचन्द पि. गुलाबचन्द के नाम चौसाला जमाबंदी में 1 हिस्सा खातेदारी के रूप में दर्ज था। आराजी मुतनाजा में लादू पुत्र नानू का हिस्सा कंवरलाल, सुखानन्द व इन्द्रचन्द पि. गुलाबचन्द के नाम रहन दर्ज नही होकर वे उक्त आराजी पर लादू पुत्र नानू के साथ खातेदार दर्ज थे। चौसाला जमाबंदी के इन्द्राज के अनुसार ही वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 165/179 किता 9 रकबा 29–3–0 में आराजी मुतनाजा लादू पुत्र नानू का 1 हिस्सा व शेष 1 हिस्सा कुंवरलाल, सुखानन्द व इन्द्रचन्द पि. गुलाबचन्द के नाम खातेदारी दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 275 दिनांक 22.02.1992 से कुवंरलाल व इन्द्रचन्द का हिस्सा जरियें विक्रय पत्र विक्रेतागण के नाम दर्ज हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लादू पुत्र नानू का पूर्व राजस्व अभिलेख चौसाला जमाबंदी व वंर्किग जमाबंदी में 1/2 हिस्सा ही दर्ज था। सम्पूर्ण आराजी वादीगण के पूर्वज के नाम अंकित नही थी। चौसाला जमाबंदी में लादू पुत्र नानू का हिस्सा रायबहादुर सेठ भागचन्द पुत्र टीकमचन्द के नाम दर्ज था। उक्त रहन का इन्द्राज वंर्किग जमाबंदी व हाल जमाबंदी में नही है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 से 23 का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण नही है। वादीगण के पूर्वज के नाम पूर्ण आराजी दर्ज नही थी। हाल जमाबंदी मे। वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण [illegible] भूमि खातेदारी दर्ज है। वाद पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:17 IST
Reason: SelfAttested

——4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

में उपलब्ध राजस्व अभिलेख अनुसार आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम गोदरी की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शैतान बनाम सुखा

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर –753/2021
पेश करने की दिनांक –14.07..2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम गोदरी की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 8 माह 9 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनाना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:17 IST
Reason: SelfAttested